डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,सागर (म0प्र0)

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 17.06.2016

क्रमांकः डीसीडीसी/2016/1797

प्रति,

प्राचार्य,
संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म0प्र0)

विषय : **अशासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश 2016–17 के संबंध में ।**

---000---

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 409/आउशि/प्रवेश 16–7/शाखा 5'अ'/2016/97टीएल भोपाल दिनांक 13.06.2016 द्वारा डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध 37 अशासकीय महाविद्यालयों को मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया एवं ई–प्रवेश पोर्टल से विमुक्त किये जाने के कारण, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया के नियम जारी किये जाते है।

आदेशानुसार,

17/6/16

कुलसचिव
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, अकादमिक गतिविधियॉ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर।
2. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर।
3. परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर।
4. प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल–को विश्वविद्यालय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपतिजी के सचिव – कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
6. सहायक कुलसचिव–कुलसचिव कार्यालय।

17/6/16

कुलसचिव
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु नियम

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र कमांक 409/आउशि/प्रवेश/16–17/शाखा–5अ/2016:97टीएल दिनांक 13.06.2016 के अनुसार 37 महाविद्यालयों को आनलाइन प्रवेश प्रकिया से विमुक्त किया गया हैं ये सभी 37 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध है। सत्र 2016–17 में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाना है। प्रवेश प्रकिया के संबंध में निम्न नियम एवं प्रवेश समय–सारणी निर्धारित की जाना प्रस्तावित है।

1. महाविद्यालयों में वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संचालित पाठ्यकमों के लिए ही यह प्रवेश प्रकिया लागू होगी अर्थात् महाविद्यालय उन्हीं पाठ्यकमों में छात्रों को प्रवेश प्रदान करेगें जिन पाठ्यकमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है।

2. महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यकमों में वर्तमान सीट संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

3. सभी महाविद्यालयों में प्रवेश प्रकिया ऑन लाइन होगी । कंडिका 9 के अनुसार प्रवेश के प्रत्येक चरण के उपरांत प्रवेशित छात्र/छात्राओं के दस्तावेज विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों की सूची महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।

4. प्रवेश उपरांत आनलाइन रिपोर्टिंग विश्वविद्यालय के पोर्टल पर करनी होगी।
5. सभी महाविद्यालयों में पूर्व में निर्धारित सीट संख्या, कोर्स अनुसार जो कि उच्च शिक्षा के पोर्टल पर सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु दर्ज है वही संख्या एवं कोर्स मान्य होंगे।

6. एन.सी.टी.ई. द्वारा संचालित पाठ्यकमों में सीट संख्या एवं प्रवेश एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही मान्य होगें। इस संबंध में विद्यार्थी का प्रवेश तभी सुनिश्चित माना जायेगा जब विद्यार्थी के सभी दस्तावेजों एवं फीस विनयामक कमेटी द्वारा निर्धारित फीस का डिमांड ड्राफ्ट विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किया जावेगा। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड की जावेगी। सत्यापन पश्चात् दस्तावेज एवं डिमांड ड्राफ्ट संबंधित महाविद्यालय को वापिस दिये जावेंगे।

7. (1)विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. (बार काउसिंल आफ इंडिया) द्वारा निर्धारित सीट संख्या एवं प्रवेश नियम मान्य होंगे।

   (2) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

   (3) सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षायें राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के सम मान्य होगी।

17.6.2016